सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2004 / 00006 दर्ज तिथिः— 07.10.2004

1. पाबूराम पुत्र पीराराम जाति विश्नोई
   निवासी कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर।

.....वादीगण

बनाम

1. उदाराम पुत्र सूराराम के कायम मुकाम
   1 / 1 हनुमानराम पुत्र उदाराम
   1 / 2 किसनाराम पुत्र उदाराम
   1 / 3 बाबूलाल पुत्र उदाराम
   1 / 4 मु0 जमना बेवा उदाराम
2. भगवानाराम पुत्र सूराराम फौत के कायम मुकाम—
   2 / 1 मोहनलाल पुत्र भगवानाराम
   2 / 2 मु0 मीरादेवी बेवा भगवानाराम
3. जगाराम पुत्र सोनाराम
4. सोनाराम पुत्र मुगलाराम के कायम मुकाम
   4 / 1 जगराम पुत्र सोनाराम
   4 / 2 बाबूराम पुत्र सोनाराम
   4 / 3 मानाराम पुत्र सोनाराम
   4 / 4 रामूराम पुत्र सोनाराम
   4 / 5 धीराराम पुत्र सोनाराम
   4 / 6 मु0 केली बेवी सोनाराम
   जाति विश्नोई निवासी कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेंर
5. श्रीमान तहसीलदार गुडामालानी।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः— श्री भाखराराम
प्रतिवादीगणः— जगदीश विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 19:55:16 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—17.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से हैः—
    - कि आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी में अवस्थित है। उक्त आराजी वादी द्वारा पंजीकृत बयनामा दिनांक 30.08.1988 व 07.07.1992 द्वारा खरीद की गई थी। वादीगण वक्त खरीद से के समय से खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी का रहवासी ढाणी बनाकर कब्जाकाश्त व उपयोग करते आ रहे हैं।
    - कि वादी की उक्त खातेदारी आराजी के पडौस में प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी अवस्थित है। कुछ अरसा पूर्व वादी को ज्ञान हुआ कि वादी की खातेदारी आराजी के राजस्व रिकार्ड के नक्शे की तरमीम एवं मौके पर वादी की कब्जे काश्त में मिलान नहीं हो रहा है। असल में वादी अपनी खातेदारी आराजी के पूर्ण रकबे अनुसार मौके पर तो पूर्ण रकबे पर काबिज है। परन्तु वादी मौके पर जहां काबिज है उस अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम नहीं है। इस कारण प्रतिवादी वादी को अपनी मौके पर काबिज काश्त आराजी से बेदखल करने की धमकियां देते रहते हैं।
    - अतः उक्त आधारों पर मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी पर मौके पर काबिज काश्त व संलग्न नजरी नक्शा में हरे रंग से प्रदर्शित भाग अनुसार तरमीम दुरूस्ती करते हुए वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन कियाः—
    - कि वादी द्वारा उक्त आराजी मूल आवंटी से खरीद की है। असल में मूल आवंटी को वक्त आवंटन मुतनाजा आराजी आवंटन की जाकर आवंटन आदेश की पुश्त पर तरमीम कर कब्जा सुपुर्द किया गया था। उसी अनुसार खरीद कर्ता को कब्जा हस्तांतरित किया गया है।
    - कि वादी के कब्जे काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में तरमीम की गई है। परन्तु वादी प्रतिवादी के खेत में घुस कर तरमीम परिवर्तित करवाना चाहता है। जबकि वादी व प्रतिवादी के खेतों के मध्य स्थाई माठ बनी हुई है। इस प्रकार वादी तरमीम दुरूस्ती करवाने का अधिकारी नहीं है।
    - कि तरमीम दुरूस्ती केवल राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत ही करवाई जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तरमीम दुरूस्ती करवाया जाना अनुमत नहीं है। अतः उक्त आराजी पर वादी तरमीम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 19:55:16 IST
Reason: SelfAttested

दुरूस्ती करवाने का अधिकारी नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।

3. प्रकरण में तनकियात कायम किए गए। प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के अवलोकन पश्चात उभयपक्षकारों के मध्य विवाद के मुख्य बिन्दु निर्धारित करने हेतु निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेः—

1. *आया वादी मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी की मुताबिक मौके पर कब्जा काश्त व संलग्न नजरी नक्शा में हरे रंग से प्रदर्शित भाग अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाकर अपनी खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी है।*

.....वादीगण

2. *आया वादी मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी की मुताबिक मौके पर कब्जा काश्त कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।*

.....वादीगण

3. *अन्य दादरसी*

.....उभय—पक्षकारान

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए—

संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी संवत् 2068—71 मौजा कांधी की ढाणी खाता संख्या 01	प्रदर्श—पी01
नक्शा ट्रेश मौजा कांधी की ढाणी	प्रदर्श—पी02
नजरी नक्शा मौजा कांधी की ढाणी	प्रदर्श—पी03

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
पाबू पुत्र पीरा	विश्नोई	कांधी की ढाणी	पी0डब्ल्यू—1
बाबूलाल पुत्र वीरमाराम	विश्नोई	कांधी की ढाणी	पी0डब्ल्यू—2

6. प्रकरण में पाबू पुत्र पीरा पी0डब्ल्यू—01, बाबूलाल पुत्र वीरमाराम पी0डब्ल्यू—02 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—

- आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी में अवस्थित है। उक्त आराजी वादी द्वारा पंजीकृत बयनामा दिनांक 30.08.1988 व 07.07.1992 द्वारा खरीद की गई थी। वादीगण वक्त खरीद से के समय से खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी तहसील

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 19:55:16 IST
Reason: SelfAttested

गुडामालानी का रहवासी ढाणी बनाकर कब्जाकाश्त व उपयोग करते आ रहे हैं।

- कि वादी की उक्त खातेदारी आराजी के पडौस में प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी अवस्थित है। कुछ अरसा पूर्व वादी को ज्ञान हुआ कि वादी की खातेदारी आराजी के राजस्व रिकार्ड के नक्शे की तरमीम एवं मौके पर वादी की कब्जे काश्त में मिलान नहीं हो रहा है। असल में वादी अपनी खातेदारी आराजी के पूर्ण रकबे अनुसार मौके पर तो पूर्ण रकबे पर काबिज है। परन्तु वादी मौके पर जहां काबिज है उस अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम नहीं है। इस कारण प्रतिवादी वादी को अपनी मौके पर काबिज काश्त आराजी से बेदखल करने की धमकियां देते रहते हैं।
- अतः उक्त आधारों पर मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी पर मौके पर काबिज काश्त व संलग्न नजरी नक्शा में हरे रंग से प्रदर्शित भाग अनुसार तरमीम दुरूस्ती करते हुए वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।
- इसके समर्थन में वादी द्वारा पैरा—04 मे अंकित दस्तावेज प्रदर्श करवाएं हैं।

7. प्रकरण में पाबू पुत्र पीरा पी0डब्ल्यू—01 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि उक्त दावा मेरे द्वारा वर्ष 2004 में पेश किया गया। दावे के साथ खतौनी नकल व नक्शा पेश किया गया था।

8. प्रकरण में बाबूलाल पुत्र वीरमाराम पी0डब्ल्यू—02 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि यह कहना सही है कि मुतनाजा आराजी गुड़ामालानी में आई हुई है। बाद में अभिकथन किया कि मुतनाजा आराजी कांधी की ढाणी में आई हुई है। यह खसरा 09 बीघा 11 बीस्वा से उपर है। दोनो खसरों में वादी का नाम है तथा ढाणी व निवास है।

9. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
जगराम पुत्र सोनाराम	विश्नोई	कांधी की ढाणी	डी0डब्ल्यू—1
भागीरथ पुत्र रिड़मल	विश्नोई	कांधी की ढाणी	डी0डब्ल्यू—2
श्रीराम पुत्र मंगला	विश्नोई	कांधी की ढाणी	डी0डब्ल्यू—3

10. प्रकरण में जगराम पुत्र सोनाराम डी0डब्ल्यू—01, भागीरथ पुत्र रिड़मल डी0डब्ल्यू—02, श्रीराम पुत्र मंगला डी0डब्ल्यू—3 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—

- कि वादी द्वारा उक्त आराजी मूल आवंटी से खरीद की है। असल में मूल आवंटी को वक्त आवंटन मुतनाजा आराजी आवंटन की जाकर आवंटन आदेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 19:55:16 IST
Reason: SelfAttested

की पुश्त पर तरमीम कर कब्जा सुपुर्द किया गया था। उसी अनुसार खरीद कर्ता को कब्जा हस्तांतरित किया गया है।

- कि वादी के कब्जे काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में तरमीम की गई है। परन्तु वादी प्रतिवादी के खेत में घुस कर तरमीम परिवर्तित करवाना चाहता है। जबकि वादी व प्रतिवादी के खेतों के मध्य स्थाई माठ बनी हुई है। इस प्रकार वादी तरमीम दुरूस्ती करवाने का अधिकारी नहीं है।
- कि तरमीम दुरूस्ती केवल राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत ही करवाई जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तरमीम दुरूस्ती करवाया जाना अनुमत नहीं है। अतः उक्त आराजी पर वादी तरमीम दुरूस्ती करवाने का अधिकारी नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।

11. प्रकरण में जगराम पुत्र सोनाराम डी0डब्ल्यू—1 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मेरे पिताजी के नाम खसरा नं. 1640/02 ग्राम कांधी की ढाणी में दर्ज है। 1640/13 कई खातेदारों के नाम है। खसरा नं. 1640/11 एवं 1640/12 गांव कांधी की ढाणी वदी पाबूराम के नाम दर्ज है। पाबूराम की ढाणी एवं खेत की तरमीन नकशा में मौका पर कब्जा का अनुसार है या नहीं मुझे पता नहीं, पाबूराम ने खेत किससे और कब खरीदा मुझे पता नहीं है। शांतिदेवी ने यह खेत उदाराम और भगवानाराम से खरीदा या शांति देवी उने खरीदा मुझे पता नहीं है। शांति देवी ने यह खेत 19.07.2006 को खरीदा हो या नहीं मुझे पता नहीं है। पाबूराम ने अपना खेत तारीख 30.07.1998 व 07.07.1992 को खरीदा हो तो मुझे पता नहीं है। उक्त वादी पाबूराम ने उक्त खेत खरीदा था जहां मूल खातेदार का कब्जा काश्त था उसी जगह पाबूराम का कब्जाकाश्त हो तो मुझे पता नहीं है। जिस खेत को पाबूराम ने खरीदा था उस खेत में पाबूराम की ढाणी है उसमें पाबूराम से हमारा कोई विवाद नही है।

12. प्रकरण में भागीरथ पुत्र रिड़मल डी0डब्ल्यू—02 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मेरे पत्नी के नाम खसरा नं. 1640/19 ग्राम कांधी की ढाणी में दर्ज है जो सन् 2006 में उदाराम व भागवानाराम से खरीदा था। खसरा नं. 1640/11 एवं 1640/12 गांव कांधी की ढाणी वदी पाबूराम के नाम दर्ज है। पाबूराम की ढाणी एवं खेत की तरमीन नक्शा में मौका पर कब्जा का अनुसार है। पाबूराम ने खेत किससे और कब खरीदा मुझे पता नहीं है। पहले खेत पाबूराम ने खरीदा था। शांति देवी ने यह खेत 19.07.2006 को खरीदा था। पाबूराम ने अपना खेत तारीख 30.07.1988 व 07.07.1992 को खरीदा हो तो मुझे पता नहीं है। उक्त वादी पाबूराम ने उक्त खेत खरीदा था जहां मूल खातेदार का कब्जा काश्त था उसी जगह पाबूराम का कब्जाकाश्त हो तो मुझे पता नहीं है। जिस खेत को पाबूराम ने खरीदा था उस खेत में पाबूराम की ढाणी है। उसमें पाबूराम से हमारा कोई विवाद नहीं था। परंतु अब पाबूराम ने तरमीम के बारे में न्यायालय में दावा पेश किया है। जो अब विवाद है।

13. प्रकरण में श्रीराम पुत्र मंगला डी0डब्ल्यू—03 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि शांति के नाम खसरा नं. 1640/19 ग्राम कांधी की ढाणी में दर्ज है। जो सन् 2006 में उदाराम व भागवानाराम से खरीदा था। खसरा नं. 1640/11 एवं 1640/12 गांव कांधी की ढाणी वादी पाबूराम के नाम दर्ज है। पाबूराम की ढाणी एवं खेत की तरमीम नक्शा में मौके पर कब्जा का अनुसार है। पाबूराम ने खेत किससे और कब खरीदा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 19:55:16 IST
Reason: SelfAttested

मुझे पता नहीं है। पहले खेत पाबूराम ने खरीदा था। शांति देवी ने यह खेत 19.07.2006 को खरीदा था। पाबूराम ने अपना खेत तारीख 30.07.1988 व 07.07.1992 को खरीदा हो तो मुझे पता नहीं है। उक्त वादी पाबूराम ने उक्त खेत खरीदा था जहां मूल खातेदार का कब्जा काश्त था उसी जगह पाबूराम का कब्जाकाश्त हो तो मुझे पता नहीं है। जिस खेत को पाबूराम ने खरीदा था उस खेत में पाबूराम की ढाणी है उसमें पाबूराम से हमारा कोई विवाद नहीं है।

14. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी पर वक्त खरीद से काबिज काश्त होने के आधार पर मुताबिक मौका कब्जा व संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती करते हुए खातेदारी अधिकार की घोषणा एवं विरूद्ध प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी के कब्जे काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में तरमीम की गई है। परन्तु वादी प्रतिवादी के खेत में घुस कर तरमीम परिवर्तित करवाना चाहता है। जबकि वादी व प्रतिवादी के खेतों के मध्य स्थाई माठ बनी हुई है। इस प्रकार वादी तरमीम दुरूस्ती करवाने का अधिकारी नहीं है।

15. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस कारण प्रकरण में प्रथम तनकी का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम तनकी निम्न प्रकार हैंः—

    1. *आया वादी मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी की मुताबिक मौके पर कब्जा काश्त व संलग्न नजरी नक्शा में हरे रंग से प्रदर्शित भाग अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाकर अपनी खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी है।*

    .....वादीगण

16. प्रकरण में प्रथम तनकी वादी की खातेदारी आराजी की तरमीम दुरस्ती एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। प्रकरण में मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी की मौके पर कब्जा काश्त एवं दावा के साथ सलग्न नजरी नक्शा व प्रदर्शित भाग के अनुसार तरमीम दुरस्ती व खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। इसके खंडन में प्रतिवादी का मुख्य प्रतिरोध है कि वादी के कब्जे काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में तरमीम की गई है। परन्तु वादी प्रतिवादी के खेत में घुस कर तरमीम परिवर्तित करवाना चाहता है। जबकि वादी व प्रतिवादी के खेतों के मध्य स्थाई माठ बनी हुई है। इस प्रकार वादी तरमीम दुरूस्ती करवाने का अधिकारी नहीं है।

17. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वादी द्वारा मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 19:55:16 IST
Reason: SelfAttested

कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी के मूल खातेदार से उक्त मुतनाजा आराजी जरिए पंजीकृत बयनामा दिनांक 30.08.1988 व 07.07.1992 द्वारा खरीद की थी। उक्त मुतनाजा आराजी का मूल खातेदार को उक्त मुतनाजा आराजी आंवटित हुई थी। मूल खातेदार को आवंटन के समय मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया था। वादीगण द्वारा मूल आवंटित खातेदार से उक्त मुतनाजा आराजी का बाद खरीद मौके पर कब्जा हस्तानांतरित कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त मुतनाजा आराजी का जिस स्थान पर मौके पर कब्जा था, लगभग उसी स्थान पर खरीदकर्ता को कब्जा हस्तानांतरित किया गया है। प्रकरण में मूल खातेदार से खरीदकर्ता को मौके पर समान स्थान पर कब्जा स्थानांतरित होने के पश्चात वादी के कब्जे में किस प्रकार परिवर्तन आया, इस तथ्य पर वादीगण कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है। इससे स्पष्ट होता है कि वादीगण आरंभ से ही मूल आवंटित से कब्जा हस्तानांतरण के पश्चात मौके पर काबिज काश्त है।

18. प्रकरण में वादी के अनुतोष को दूसरे दृष्टिकोण से भी अवलोकन किया जा सकता है। प्रकरण में वादी का कथन है कि वादी अपनी खातेदारी के कुल रकबे 20—10 बीघा भूमि पर मौके पर काबिज काश्त है। वादी के इस अभिकथन को प्रतिवादी भी स्वीकार करते है। प्रकरण में प्रतिवादी का अभिकथन है कि वादी और प्रतिवादी के मध्य कोई विवाद नही है। इससे प्रतीत होता है कि वादी अपनी खातेदारी के कुल रकबे 20—10 बीघा भूमि पर मौके पर काबिज काश्त है। साथ ही प्रतिवादी भी अपनी खातेदारी के रकबे पर काबिज काश्त है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि वादी अपनी खातेदारी के कुल रकबे 20—10 बीघा भूमि पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड तरमीम अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। साथ ही प्रतिवादी भी अपनी खातेदारी के रकबे पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड तरमीम अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा सीमाज्ञान भी नहीं करवाया गया है। अगर वादी वास्तव में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित तरमीम से भिन्न स्थान पर काबिज होता तो सीमाज्ञान व नेखमबंदी करवाकर अपनी खातेदारी आराजी का सीमा निर्धारण करवाकर रिकॉर्ड व मौके की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता था। परंतु प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया। इससे भी यह प्रतीत होता है कि वादी अपनी खातेदारी के कुल रकबे 20—10 बीघा भूमि पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड तरमीम अनुसार मौके पर काबिज काश्त है।

19. इस प्रकार वादी अपनी खातेदारी के कुल रकबे 20—10 बीघा भूमि पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड तरमीम अनुसार मौके पर काबिज काश्त नहीं होने के सम्बन्ध में अपना पक्ष साबित करने में भी असफल रहे। इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या—01 को साबित करने में असफल रहे हैं। इस कारण तनकी संख्या—01 वादी के पक्ष में अस्वीकार की जाती है।

20. अब प्रकरण में द्वितीय तनकी का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम तनकी निम्न प्रकार हैंः—

> *2. आया वादी मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी की मुताबिक मौके पर कब्जा काश्त कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।*
>
> *.....वादीगण*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 19:55:16 IST
Reason: SelfAttested

21. प्रकरण में द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

22. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

6. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने	1. प्रकरण में मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी पर वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 19:55:16 IST
Reason: SelfAttested

	वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	1. प्रकरण में मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। 2. अगर मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 19:55:16 IST
Reason: SelfAttested

		ढाणी तहसील गुडामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 3. अगर मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 4. अगर मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

23. इस प्रकार स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है। मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1640/11 रकबा 09—11 बीघा, 1640/12 रकबा 10—19 बीघा कुल रकबा 20—10 बीघा मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है। उक्त आधारों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है।

24. प्रकरण में वादी का कथन है कि वादी अपनी खातेदारी के कुल रकबे 20—10 बीघा भूमि पर मौके पर काबिज काश्त है। वादी के इस अभिकथन को प्रतिवादी भी स्वीकार करते है। प्रकरण में प्रतिवादी का अभिकथन है कि वादी और प्रतिवादी के मध्य कोई

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 19:55:16 IST
Reason: SelfAttested

विवाद नही है। इससे प्रतीत होता है कि वादी अपनी खातेदारी के कुल रकबे 20—10 बीघा भूमि पर मौके पर काबिज काश्त है। साथ ही प्रतिवादी भी अपनी खातेदारी के रकबे पर काबिज काश्त है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि वादी अपनी खातेदारी के कुल रकबे 20—10 बीघा भूमि पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड तरमीम अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। साथ ही प्रतिवादी भी अपनी खातेदारी के रकबे पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड तरमीम अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। वादी व प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत गवाहों के प्रतिपरीक्षण से भी उक्त तथ्य साबित होते है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या—02 को साबित करने में सफल रहे हैं। इस कारण तनकी संख्या—02 वादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

25. अतः वादी अपनी खातेदारी के कुल रकबे 20—10 बीघा भूमि पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड तरमीम अनुसार मौके पर काबिज काश्त नहीं होने के सम्बन्ध में अपना पक्ष साबित करने में भी असफल रहे। साथ ही प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का अनुतोष बाबत इस्तकरारहक्क व तरमीम दुरस्ती खारिज किया जाता है व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा आंशिक किया जाता है। प्रतिवादी को वादी की खातेदारी आराजी की आमदरफत व मौके पर कब्जे काश्त में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किसी प्रकार की व्यवधान, बाधा उत्पन्न नहीं करने, वादी को बेदखल नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 17.03.2025 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 19:55:16 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2004/00006 दर्ज तिथिः— 07.10.2004

1. पाबूराम पुत्र पीराराम जाति विश्नोई
   निवासी कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर।

.....वादीगण

बनाम

1. उदाराम पुत्र सूराराम के कायम मुकाम
   1/1 हनुमानराम पुत्र उदाराम
   1/2 किसनाराम पुत्र उदाराम
   1/3 बाबूलाल पुत्र उदाराम
   1/4 मु0 जमना बेवा उदाराम
2. भगवानाराम पुत्र सूराराम फौत के कायम मुकाम—
   2/1 मोहनलाल पुत्र भगवानाराम
   2/2 मु0 मीरादेवी बेवा भगवानाराम
3. जगाराम पुत्र सोनाराम
4. सोनाराम पुत्र मुगलाराम के कायम मुकाम
   4/1 जगराम पुत्र सोनाराम
   4/2 बाबूराम पुत्र सोनाराम
   4/3 मानाराम पुत्र सोनाराम
   4/4 रामूराम पुत्र सोनाराम
   4/5 धीराराम पुत्र सोनाराम
   4/6 मु0 केली बेवी सोनाराम
   जाति विश्नोई निवासी कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेंर
5. श्रीमान तहसीलदार गुडामालानी।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः— श्री भाखराराम
प्रतिवादीगणः— जगदीश विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 19:55:16 IST
Reason: SelfAttested

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का अनुतोष बाबत इस्तकरारहक्क व तरमीम दुरस्ती खारिज किया जाता है व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा आंशिक किया जाता है। प्रतिवादी को वादी की खातेदारी आराजी की आमदरफत व मौके पर कब्जे काश्त में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किसी प्रकार की व्यवधान, बाधा उत्पन्न नहीं करने, वादी को बेदखल नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 19:55:16 IST
Reason: SelfAttested